

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 104 / 2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री कमल परमानी पुत्र श्री पारसमल परमानी, जाति सिंधी, मैसर्स-झूलेलाल किराणा स्टोर, तेजा चौक, बस स्टैण्ड, मसूदा अजमेर निवासी महावीर कॉलोनी, मसूदा अजमेर (विक्रेता)
- 2- मैसर्स-झूलेलाल किराणा स्टोर, तेजा चौक, बस स्टैण्ड, मसूदा अजमेर
- 3- रानी जैन पत्नि प्रो0 मैसर्स एस0के0 जैन गर्ग, 20 गोपाल जी मोहल्ला, ब्यावर
- 4- श्री विनोद कुमार जैन प्रो0 लक्की एजेन्सीज नियर समता भवन के पास, खारिया कुआ मार्ग, ब्यावर अजमेर
- 5- श्री हर्ष कुमार गांधी प्रो0 मैसर्स-गांधी स्पाईसेज (इण्डिया) रंगनिया का मोहल्ला, पाली, राजस्थान (निर्माता)

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (I) एवं धारा 51 व 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी संख्या 5 स्वयं।

-: आदेश :-

दिनांक-15.03.2023

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिशा कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2022 को 02.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स-झूलेलाल किराणा स्टोर, तेजा चौक, बस स्टैण्ड, मसूदा अजमेर पर पहुँचे श्री कमल परमानी पुत्र श्री पारसमल परमानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) के 250-250 ग्राम के 80 पैकेट रखकर विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) 250-250 ग्राम के पैकेट में मिलावट का शक होने पर उसमें से 250-250 ग्राम के 8 सील्ड पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 280/- रुपये श्री कमल परमानी पुत्र श्री पारसमल परमानी को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री कमल परमानी को सम्मलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 250-250 ग्राम के 8 पैकेट रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) में से 4 लेबल तैयार कर भूरे कागज में लपेटकर व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए-2932 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/977 दिनांक 01.02.2022 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 122/एक्ट/2022/48 दिनांक 21.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) सब स्टैण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2022 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री कमल परमानी व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 15.03.2023 को अप्रार्थी संख्या 5 श्री हर्ष कुमार गांधी स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर अनुरोध किया कि 250 ग्राम अचार मिक्स मसाला 1.5 किलोग्राम अचार तैयार करने के लिये काम में लिया जाता है। इस प्रकार 1.5 किलोग्राम अचार की मात्रा के अनुरूप ही अचार मिक्स मसाला पैकेट में नमक की सीमा निर्धारित की हुई है। साथ ही पैकेट पर खाद्य तेल के नाम के संदर्भ में उत्पाद में उपयोग किये जाने वाले तेल के नाम में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अनुरोध किया कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के परिपेक्ष में प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। परिवाद में अप्रार्थी संख्या 5 ने लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद में



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त गिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) सब स्टैंडर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे रेडी पिकल मिक्स मसाला (गांधी स्पाईसेज) में निर्धारित मूल्यों के अनुरूप गुणवत्ता का अभाव पाया गया है। ऐसे उत्पाद आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी संख्या 5 को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 5 श्री हर्ष कुमार गांधी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्चर्य किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 5 श्री हर्ष कुमार गांधी को रु 11000/- (अक्षरे ग्यारह हजार रुपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी संख्या 5 उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.03.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक :

दिनांक प्रेषित है :-

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2023/

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, अजमेर

3- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

4- श्री हर्ष कुमार गांधी प्रो० मैसर्स-गांधी स्पाईसेज (इण्डिया) रंगनिया का
मौहल्ला, पाली, राजस्थान

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर